

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा,
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET),
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC),
प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (BITE)।

पटना, दिनांक 16/12/2020

विषय:-सत्र 2020-22 में D.El.Ed कोर्स में नामांकन की कार्रवाई प्रारम्भ करने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप आपके प्रशिक्षण संस्थान में सत्र 2020-2022 में दो वर्षीय D.El.Ed कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब हो चुका है तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन हेतु टेस्ट लेने में कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई है। अतएव वर्तमान में विषयांकित सत्र में अभ्यर्थियों का नामांकन पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। आपको निदेश दिया जाता है कि सत्र 2020-2022 में दो वर्षीय D.El.Ed कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाय। यह नामांकन वर्ष 2020-22 में NCTE द्वारा आपके संस्थान/महाविद्यालय में D.El.Ed कोर्स के लिए स्वीकृत सीटों (Intake) के विरुद्ध किया जायेगा।

(2) D.El.Ed कोर्स में नामांकन हेतु सरकार के संकल्प संख्या-12/प्रशिक्षण-89/07-204 दिनांक- 19.06.2008 में नामांकन हेतु निर्धारित प्रावधानों में निम्नालिखित संशोधन के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की जायेगी:-

(क) नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता इंटर+2 में 50 प्रतिशत अंकों की होगी तथा अनु० जाति/अनु० जनजाति/निःशक्त के लिए 05 प्रतिशत छूट होगी।

(ख) NCTE द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 05 (पाँच) प्रतिशत निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। निःशक्त एवं उर्दू अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 05 (पाँच) प्रतिशत एवं 10 (दस) प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण लागू होगा।

(ग) NCTE द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 50 (पचास) प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला/वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। स्वीकृत सीट की संख्या विषम होने पर 50 प्रतिशत की गणना में एक पद विज्ञान को अधिक दिया जायेगा। उर्दू विषय की गणना कला/वाणिज्य विषय के सीट के विरुद्ध किया जायेगा।

(3) नामांकन में आरक्षण-नामांकन में बिहार राज्य के आरक्षण नियम का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार/सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान में प्रभावी नियम/परिनियम आदि का पालन आवश्यक होगा।

(4) **चयन का आधार**— नामांकन हेतु चयन का आधार दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत होगा। दोनों कक्षाओं के प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेधासूची का निर्माण कोटिवार किया जायेगा। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत योग्यता तथा जन्म तिथि समान रहने पर अभ्यर्थी के अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे जाने वाले नाम के वर्णाक्षर के आधार पर जो नाम वर्णाक्षर में पहले आएँगे उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

उर्दू अभ्यर्थियों के लिए सर्वप्रथम मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा। मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा जिन्होंने उर्दू विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ा हो तथा उन्होंने उर्दू में नामांकन हेतु अधीच्छा दी हो। उपर्युक्त दोनों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अहिन्दीभाषी अभ्यर्थियों की तरह उर्दू पढ़ा हो।


- (5) **उम्र सीमा**— नामांकन हेतु नामांकन वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 17 (सतरह) वर्ष होगी तथा आयु की अधिकतम सीमा नहीं रखी जायेगी।
- (6) समयाभाव के कारण सत्र 2020-2022 में नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए निदेशालय द्वारा सभी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक ही विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है। संबंधित राजकीय प्रशिक्षण संस्थान अलग-अलग विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे।
- (7) सभी प्राचार्य अपने-अपने प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय में नामांकन हेतु संचालित वेबसाइट (पूर्व वर्ष की भांति) तुरंत अद्यतन कर लेंगे जिससे अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नामांकन हेतु आवेदन करने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई नहीं हो।
- (8) **D.El.Ed** कोर्स में नामांकन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों की एक समेकित वृहत मेधा सूची तैयार की जायेगी। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार कोटिवार मेधासूची तैयार कर प्रकाशित की जायेगी।
- (9) नामांकन समिति की बैठक (तिथि निर्धारित कर) केवल एक बार ही आयोजित की जायेगी तथा उक्त बैठक में सम्पूर्ण मेधा सूची, जो कोटिवार अलग-अलग तैयार की गई है, पर सभी सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। 29 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक की अवधि में संस्थान/महाविद्यालय में नामांकन के दौरान सीट की संख्या के अनुसार निर्मित नामांकन सूची एवं तदुपरान्त क्रमिक रूप से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (आवश्यकतानुसार) प्रतीक्षक सूची से कोटिवार नामांकन किया जायेगा। एक बार नामांकित हो जाने पर नामांकित अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क, किसी भी परिस्थिति में, वापस नहीं किया जायेगा।
- (10) सभी प्राचार्य नामांकन प्रक्रिया इस प्रकार संचालित करेंगे कि अभ्यर्थियों को नामांकन कराने में कठिनाई नहीं हो तथा संस्थान/महाविद्यालय में स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध 95 प्रतिशत से कम नामांकन नहीं हो।
- (11) नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर प्राचार्य सभी नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची पूर्ण विवरण के साथ ई-मेल/डाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- (12) **नामांकन कैलेंडर**—सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अनुपालनार्थ निम्नलिखित नामांकन-कैलेंडर जारी किया जा रहा है :-

- | | |
|--|--------------------------|
| i. आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि | — 21.12.2020 (सोमवार) से |
| ii. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि | — 04.01.2021 (सोमवार) तक |
| iii. मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन | — 11.01.2021 (सोमवार) |

- iv. मेधा सूची (सभी समर्पित आवेदन हेतु) का प्रकाशन—13.01.2021 (बुधवार) तक
(महाविद्यालय के वेबसाईट एवं सूचना-पट्ट पर)
- v. मेधा सूची पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति प्राप्त करना — 20.01.2021 (बुधवार) तक
- vi. प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरांत अन्तिम मेधा — 27.01.2021 (बुधवार) तक
सूची (सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची) एवं
कोटिवार/विषयवार सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन
(महाविद्यालय के वेबसाईट एवं सूचना-पट्ट पर)
एवं अन्तिम मेधा सूची तथा सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची की
हार्ड कॉपी की एक प्रति 08.02.2021 तक सभी जिला
शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जाना।
- vii. नामांकन हेतु सूचना-प्रेषण (SMS, वेबसाईट एवं — 29.01.2021 (शुक्रवार) तक
ई-मेल पर अनिवार्य रूप से तथा दूरभाष पर
अतिरिक्त रूप में)
- viii. नामांकन (प्रथम सूची एवं तदनुसार प्रतीक्षक सूची —15.02.2021 (सोमवार) तक
दोनों के आधार पर)
- ix. नामांकन-प्रक्रिया बन्द —16.02.2021 (मंगलवार) तक
- x. कक्षा संचालन की तैयारी —17.02.2021 से 18.02.2021 तक
- xi. कक्षा संचालन (फेश टू फेश या ऑनलाईन) —19.02.2021 (शुक्रवार)

कृपया ऊपर वर्णित दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए एवं ससमय नियमों के पालन एवं पारदर्शिता के साथ इसे सम्पन्न किया जाए। किसी बिन्दु पर अस्पष्ट होने पर मार्गदर्शन में समय नहीं लगाएँगे बल्कि फोन पर सम्पर्क कर समाधान करेंगे।

विश्वासभाजन



(डॉ० विनोदानन्द झा)


निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक- 12/प्रशि-01/2016...315

पटना, दिनांक-...16/12/2020

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कृपया नामांकन समिति की बैठक में निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अतिविशिष्ट परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने पर अपने स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाए। साथ ही बैठक के उपरांत वृहत मेधा सूची के सभी पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर उसे बंद घोषित कर दिया जाए।




निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक- 12/प्रशि-01/2016.....315

पटना, दिनांक- 16/12/2020

प्रतिलिपि- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, सैदपुर, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, इन्टरमीडियट कॉउन्सिल भवन, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, महेन्द्र, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

ज्ञापांक- 12/प्रशि-01/2016.....315

पटना, दिनांक- 16/12/2020

प्रतिलिपि- आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।